न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 97/2022

1. लालचन्द मार पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला हाल चक12 केवाईडी तहसील खाजूवाला।

.......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–10.11.2022**

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने तीन अलग–अलग रकबों के प्रार्थनापत्र/वादपत्र प्रस्तुत किये जिसके अनुसार मुझ प्रार्थी/वादी के नाम से चक 13 केवाईडी ए के मु0नं0 137/36 के मु0नं0 1.9474 है0 रकबा व 14 केवाईडी का मु0नं0 136/20 में कुल 1.8335 है0 कमाण्ड रकबा व 11 केवाईडी बी का मु0नं0 135/48 में कुल 1.5301 है0 कमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार अंकित। प्रार्थी के आधारकार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र आदि में नाम लालचन्द मार पुत्र किशनाराम अंकित है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द मार पुत्र किशनाराम जाति अंकित करवाना चाहता है जोकि प्रार्थी के उक्त दस्तावेजो में अंकित है। प्रार्थी के समस्त रिकॉर्ड में नाम की एकरूपता करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की के.सी.सी. बनाने में परेशानी आ रही है। इसके लिये नाम की एकरूपता होना आवश्यक है। प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द जाति कुम्हार की जगह लालचन्द मार पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार अंकित कर शुद्धि की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज आधारकार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1979 प्रमाणपत्र, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र आदि की [illegible] जिनमें प्रार्थी/वादी का नाम लालचन्द मार अंकित है जो कि वादी/प्रार्थी [illegible] सही नाम है। वादी/प्रार्थी ने भी इस बाबत् शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि [illegible] भूमि मुझ मिकर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द पुत्र किशनाराम [illegible] कुम्हार अंकित है । प्रार्थी के आधारकार्ड, पेनकार्ड, शेक्षणि[illegible] दस्तावेज, सेवा प्रमाण[illegible] मिकर का नाम लालचन्द मार पुत्र किशनाराम अंकित है। मिकर के दस्तावेजो व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम दोनो एक ही व्यक्ति है। मिकर के नाम से लालचन्द पुत्र किशनाराम के स्थान पर लालचन्द मार पुत्र किशनाराम दज करने पर किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:59 IST
Reason: SelfAttested

कोई भी वाद विवाद होता है तो मिकर स्वंय जिम्मेवाद रहूंगा। उक्त रकबा का कोई भी न्यायालय का वाद विवाद एवं स्थगन आदेश नहीं है। प्रार्थी/वादी ने ग्राम पंचायत 17 केवाईडी व 22 केवाईडी खाजूवाला की लालचन्द व लालचन्द मार एक ही व्यक्ति है बाबत् तस्दीक प्रस्तुत की तथा ही आस पड़ौस के काश्तकारों गवाह स्वरूप हस्ताक्षर शुदा प्रार्थनापत्र पेश किया।

तहसीलदार खाजूवाला हल्का पटवरी रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 13 केवाईडी ए के मु0नं0 137/36 के मु0नं0 1.9474 है0 रकबा व 14 केवाईडी का मु0नं0 136/20 में कुल 1.8335 है0 कमाण्ड रकबा व 11 केवाईडी बी का मु0नं0 135/48 में कुल 1.5301 है0 कमाण्ड रकबा लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार खातेदार के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम आधारकार्ड, पेनकार्ड व शैक्षणिक दस्तावेज के अनुसार अपना नाम लालचन्द के स्थान पर लालचन्द मार करवाना चाहता है। उक्त भूमि बैयनामा के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है जिसमें नाम लालचन्द ही है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द मार करवाना चाहता है जबकि रिकॉर्ड में लालचन्द है। रिकॉर्ड में यह अशुद्धि न होकर अतिरिक्त शब्द 'मार' जुड़वाना चाहता है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादी/प्रार्थी द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेज, शपथपत्र व ग्राम पंचायत तस्दीक के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है वादी/प्रार्थी का नाम लालचन्द व लालचन्द मार दोनो एक नाम है जो वादी दुरुस्त करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथपत्र पर विश्वास करते हुवे वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द की जगह लालचन्द मार उर्फ लालचन्द दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लालचन्द की जगह लालचन्द मार उर्फ लालचन्द नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:59 IST
Reason: SelfAttested

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी